

पत्रांक-14 / ए०एफ०-44 / 2025.....

बिहार सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग।
(शुद्धि पत्र)

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक..... / / 2026

विषय:- R.P.S. College of Management, Jhaphan, Muzaffarpur के BBA & BCA व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स में संबंधन प्रदान करने तथा सीटों के निर्धारण करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-175, दिनांक-07.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा R.P.S. College of Management, Jhaphan, Muzaffarpur के BBA & BCA व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स तथा सीटों के निर्धारण के साथ सत्र 2025-26 से संबंधन की सहमति प्रदान की गयी है।

2. उक्त प्रसंगाधीन पत्र में अंकित "सत्र 2025-26 से संबंधन" के स्थान पर "सत्र 2025-26 के लिए संबंधन" संशोधित पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :-14 / ए०एफ०-44 / 2025 -299

दिनांक...26/02/2026

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक/उप निदेशक, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य/सचिव, R.P.S. College of Management, Jhaphan, Muzaffarpur कको सूचनार्थ प्रेषित।

2.आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ajit
25/2/26

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक:- 14/ए०एफ०-44/2025.....1.75
बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

विषय:- R.P.S. College of Management, Jhaphan, Muzaffarpur के BBA & BCA व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स में संबंधन प्रदान करने तथा सीटों के निर्धारण करने के संबंध में।
पटना, दिनांक-27/02/2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक-CCDC/79 दिनांक-20.11.2025 के द्वारा R.P.S. College of Management, Jhaphan, Muzaffarpur को स्ववित्तपोषित योजना अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा BBA एवं BCA में संबंधन प्रदान करने तथा सीटों के निर्धारण करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर समीक्षोपरान्त, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में AICTE द्वारा BBA एवं BCA के लिए प्रत्येक संकायों में 60-60 सीटों के निर्धारण के साथ सत्र 2025-26 से संबंधन की सहमति प्रदान की जाती है।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Ajit Kumar Singh
(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।